



## स्थानीय राजपत्र

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड-६

सङ्ख्या: १

मिति: २०८०/०३/१७

भाग-१

### आर्थिक ऐन, २०८०

प्रस्तावना : दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने, छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “ आर्थिक ऐन, २०८०” रहेको छ।

(२) यो ऐन २०८० साल श्रावण १ गतेदेखि दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. सम्पत्ति कर : (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको घर र सो घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

स्पष्टीकरण. यस दफाको प्रयोजनका लागि “घरले चर्चेको जग्गा” भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल र अधिकतम सो क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गासम्म सम्झनुपर्छ ।

- (२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने सम्पत्ति करको दर अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
- (३) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि घरको र जग्गाको मूल्यांकन दर अनुसूची-२ तथा घरको हास कट्टीको दर अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
३. भूमिकर (मालपोत) : (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दफा-२ बमोजिम सम्पत्ति कर लाग्ने बाहेकका अन्य जग्गामा क्षेत्रफलको आधारमा मालपोत लगाइने र असुल उपर गरिनेछ
- (२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने मालपोतको दर अनुसूची -४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
४. घर जग्गा बहाल कर : (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिले घर, घरको छत, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, वा जग्गा पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिई प्राप्त गरेको आयमा घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने घर जग्गा बहाल करको दर अनुसूची-५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५. व्यवसाय कर (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा व्यवसायको प्रकृति, पूँजी लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरी व्यवसाय दर्ता गरी कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने व्यवसाय करको दर अनुसूची-६ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले खोटो, कवाडी र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मत्तु वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिड, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेबापत अनुसूची - ७ बमोजिम जडिबुटी, कवाडी ता जीवजन्तु कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

तर, त्यस्ता वस्तुको व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई दफा ५ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइएको अवस्थामा यस दफा बमोजिमको कर लगाइनेछैन ।

७. **सवारी साधन कर:** गाउँपालिकाले प्रदेश कानूनले तोके बमोजिमका सेवा र क्षेत्रमा सोही कानूनमा तोकिएको दरमा सवारी साधन कर लगाई असल उपर गरिनेछ ।

८. **विज्ञापन कर :** (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन, प्रचारप्रसार आदिका लागि राख्न दिने साइनबोर्ड, ग्लोबोर्ड, स्टल आदिमा विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरीनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने विज्ञापन करको दर अनुसूची-८ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

९. **मनोरञ्जन कर:** गाउँपालिकाले प्रदेश कानूनले तोके बमोजिमका सेवा र क्षेत्रमा सोही कानूनमा तोकिएको दरमा मनोरञ्जन कर लगाई असल उपर गरिनेछ ।

१०. **बहाल विटौरी शुल्क :** (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक, पर्ती वा ऐलानी जग्गालाई उपयोग गरी बनाइएका टहरा, छाप्रा वा पसल वा आवास तथा गाउँपालिकाले जोकेको सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा सञ्चालन भएका पसलमा बहाल विटौरी शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने बहाल विटौरी शुल्कको दर अनुसूची-९ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११. **सेवा शुल्क दस्तुर :** गाउँपालिका अन्तर्गतका कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउने सिफारिस, प्रमाणित, इजाजत जस्ता प्रशासनिक सेवामा अनुसूची-१० मा उल्लिखित दरमा सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगाई असुल उपर गर्नेछ ।

१२. **बिक्री गर्न सक्ने :** (१) गाउँपालिकाले आफुनो क्षेत्रभित्रको खोलानाला वा अन्य सार्वजनिक स्थलबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटो जन्य वस्तुहरू तथा आफुनो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ दाउरा, जराजुरी, बोलपत्र वा दरभाउपत्र फाराम आदि अनुसूची-११ मा उल्लेख भए बमोजिमको दरमा बिक्री गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटो जन्य वस्तुहरू आदि बिक्री गर्दा बिक्रीको दर तथा उपलब्ध परिमाणका आधारमा कायम भएको न्यूनतम बिक्री मूल्यमा ठेक्का बढाबढ गरी गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम ठेक्का निर्धारण नभएमा कार्यपालिकाले निर्णय गरी गाउँपालिकाले अमानत विधिबाट बिक्री गरी रकम सङ्कलन गर्न सक्नेछ ।

१३. भाडामा लगाउन सक्ने: गाउँपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, मेसिनरी तथा अन्य सम्पत्तिमा अनुसूची- १२ मा उल्लिखित दरमा भाडामा लगाउन सक्नेछ ।

१४. व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क: गाउँपालिका भित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता अनिवार्य गर्नु पर्नेछ । दर्ता भएका व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा हरेक साल नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

उपदफा(१) बमोजिम व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणका लागि अनुसूची-१३ बमोजिम शुल्क लाग्नेछ ।

१५. बिक्री सिफारिस शुल्क(१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका वनजङ्गलबाट प्राप्त हुने काठ तथा वनपैदावार बस्तुको बिक्री भई गाउँपालिका क्षेत्रबाट अन्यत्र निकासी गर्दा व्यक्ति वा व्यवसायी अनुसूची-१४(क) र अनुसूची-१४(ख) बमोजिम राजश्व तिर्नुपर्नेछ ।

१६.सवारी साधन प्रभाव शुल्क:(१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका माल बाहक ट्रक, ट्रिफर, ट्याक्टर, स्काभेटर, व्याकहोलोडर, यात्रुबाहक बस, बोलेरो जीप, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सा जस्ता सवारी साधनको दर्ता र वार्षिक नवीकरणमा गाउँपालिकाले सवारी साधन प्रभाव शुल्क लगाउने र उठाउनेछ ।

(२) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूले गाउँपालिकामा अनिवार्य रूपमा अनुसूची-१५ बमोजिम सवारी साधन प्रभाव शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

१७. जरिवाना, ब्याज, हर्जाना र दण्ड: (१) गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कर, शुल्क तथा महसूल तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा वा प्रचलित कानून पालना नगरेको कसूरमा

अनुसूची-१६ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्था तथा दरमा र सो दर नतोकिएकोमा कार्यपालिकाबाट तोकिएको दरमा जरिवाना सहित बक्यौता असुल गर्नेछ ।

**१८.कर छुट:** (१) गाउँपालिकालाई वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने कर सोही आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र र मासिक रुपमा तिर्नुपर्ने कर मुहिना समाप्त भएको सात दिनभित्र बुझाउने करदातालाई नियमानुसार लाग्ने करको क्रमशः ५% र १५% छुट दिइनेछ

(२) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कुटनीतिक नियोग, गुठी र लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघ सस्थाको सम्पत्ति वस्तु तथा कारोबारमा यस ऐन बमोजिमको कर लिइने छैन ।

*स्पष्टीकरण:* लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्था भन्नाले सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, विश्वविद्यालय र सोका आंगिक कलेजहरू, सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरू, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालाय, बालगृह, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, मठमन्दिर जस्ता सामाजिक संघसंस्था सम्झनु पर्दछ ।

**१९. प्रचलित कानून बमोजिम हुने:** यस ऐनमा उल्लेख गरिएको विषयहरूमा यसै बमोजिम र उल्लेख नगरिएको विषयमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची-१

(दफा २ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

सम्पत्ति करको दर

| सम्पत्तिको मूल्य                | बार्षिक दर रु. |
|---------------------------------|----------------|
| १ लाख रुपैयाँसम्मको मूल्यांकनमा | ५०             |
| २ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँ सम्म   | १००            |
| ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ सम्म   | २००            |
| १० लाख देखि १५ लाख रुपैयाँ सम्म | ५००            |
| १५ लाख देखि २० लाख रुपैयाँसम्म  | १०००           |
| २० लाख देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म  | १५००           |
| २५ लाख भन्दा माथि               | २०००           |

अनुसूची-२

(दफा २ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

घरको तथा जग्गाको मूल्यांकन दर

(क) घरको मूल्यांकन दर

घरको मूल्याङ्कन दर गाउँ कार्यपालिकाबाट मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ ।

(ख) जग्गाको मुल्यांकन दर

घरले चर्चेको जग्गाको मुल्यांकनका लागि जग्गाको हालको मालपोत रजिष्ट्रेशनको दरलाई आधार मानिनेछ ।

अनुसूची-३

(दफा २ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

घरको हास कट्टी दर

गाउँपालिकाले हास कट्टी दर गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय गरेर तोकिनेछ ।



अनुसूची-४  
(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)  
भूमिकर (मालपोत) दर

| क्र सं | भूमिको किसिम                               | प्रति रोपनी रु. |
|--------|--|-----------------|
| १      | कृषि क्षेत्र                               | रु ५            |
| २      | आवासीय क्षेत्र                             | रु १०           |
| ३      | औद्योगिक क्षेत्र                           | रु २०           |
| ४      | ब्यवसायिक क्षेत्र                          | रु ५०           |
| ५      | खानी तथा खनिज क्षेत्र                      | रु १०           |
| ६      | वन क्षेत्र                                 | रु १०           |
| ७      | नदी खोला ताल सिमसार क्षेत्र                | रु ५            |
| ८      | सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र                  | रु १०           |
| ९      | साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र | रु १०           |
| १०     | अन्य क्षेत्र                               | रु ५            |

नोट: भू-उपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिम गाउँपालिका भित्रका जग्गा वर्गीकरण गरी लागु गरिनेछ।

अनुसूची-५

(दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

घर जग्गा बहाल करको दर

| जग्गा तथा घर भाडामा लिने  | करको दर               |
|---|-----------------------|
| लेखा परीक्षण गराउने भएका संस्थाहरुले बहालमा लिएको जग्गा र घरको              | बहाल रकमको १० प्रतिशत |
| अन्य (व्यापार, व्यवसायिक, घरयासी वा कृषि) प्रयोजनका लागि लिएको जग्गा र घरको | बहाल रकमको १० प्रतिशत |

अनुसूची-६  
(दफा ५ उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)  
व्यवसाय कर

| व्यवसायको किसिम       | बार्षिक कारोकार रकमको |
|-----------------------|-----------------------|
| १. खाद्यन्न           | ०.०५ प्रतिशत          |
| २. कस्मेटिक           | ०.०७ प्रतिशत          |
| ३. लत्ता कपडा         | ०.०६ प्रतिशत          |
| ४. औषधीजन्य           | ०.०४ प्रतिशत          |
| ५. कृषिजन्य           | ०.०५ प्रतिशत          |
| ६. मदिरा तथा सूतीजन्य | ०.१० प्रतिशत          |
| ७. भाडाकुडा           | ०.१२ प्रतिशत          |
| ८. इन्टरनेट व्यवसायी  | ०.२० प्रतिशत          |
| ९. अन्य               | ०.०५ प्रतिशत          |

अनुसूची-७

(दफा ६ सँग सम्बन्धित)

जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको दर

गाउँ क्षेत्रभित्र उत्पादन वा संकलन भई व्यवसायिक उपयोग हुने निम्नलिखित वस्तुहरूमा देहाय बमोजिम जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर लिइनेछ :

| क. सं. | जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु   | इकाइ             | प्रति पटक |
|--------|---|------------------|-----------|
| १      | खाली सीसी, प्लाष्टिक (बोतल, भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता, चपल, ग्यालन र जर्किन), खाली बोरा, तेलको टिन, धातुका टुक्राहरू, पुनः प्रशोधन रिसाइक्लिङ्ग गरी पुनः प्रयोग प्रयोगमा आउन सक्ने सामानहरू | ठूलो एल्पी ट्रक  | २०००      |
|        |   | ठूलो ट्रक/टिप्पर | १०००      |
|        |   | सानो ट्रक/टिप्पर | ७००       |
|        |   | ट्रयाक्टर        | ५००       |
| २      | खोटो  | प्रति टिन        | रु. २५    |
| ३      | अलैची   | प्रति किलोग्राम  | रु ३      |
| ४      | टिम्मुर   | प्रति किलोग्राम  | रु ५      |
| ५      | तेजपत्ता  | प्रति मन         | रु ५०     |
| ६      | मजिटो   | प्रति किलोग्राम  | रु १      |
| ७      | चिराईतो   | प्रति किलोग्राम  | रु ३      |

अनुसूची-८

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

विज्ञापन करको दर

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक स्थलमा गाउँपालिकाको इजाजत लिई गरिएको विज्ञापन सामग्रीमा देहाय बमोजिम वार्षिक विज्ञापन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ :

| क्र.स | विज्ञापन सामग्रीको किसिम                             | वार्षिक विज्ञापन कर (रु.) |
|-------|--|---------------------------|
| १     | विद्युतीय डिजिटल बोर्ड प्रति वर्ग फिट                | २५०                       |
| २     | होडिङ्ग बोर्ड प्रति वर्ग फिट                         | २५                        |
| ३     | ब्यानर पोष्टर प्रति वर्ग फिट                         | १०                        |
| ४     | भित्ते लेखन प्रति वर्ग फिट                           | १०                        |
| ५     | व्यापार तथा मेला आदिमा इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले (दैनिक) | २५०                       |

नोट: (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निजी सम्पत्तिको उपयोग गरी कसैले विज्ञापन राख्न चाहेमा गाउँपालिकाको इजाजत लिई विज्ञापन सामग्री राख्न सक्नेछ। यस्तो विज्ञापन राखे वापत गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने विज्ञापन पर्ने विज्ञापन करको दर सार्वजनिक स्थलमा राखेको विज्ञापन करको दरको आधा (पचास प्रतिशत) हुनेछ ।

(२) गाउँपालिकाको इजाजत नलिई गरिएको विज्ञापन सामग्रीहरूलाई गाउँपालिकाले कुनै पनि समयमा अग्रिम सूचना बिना हटाउन सक्नेछ ।

(३) पसलहरूमा राखिने परिचयपाटी (व्यवसाय प्रमाण पत्रमा तोकिएको ढाँचा तथा साइज अनुसार) मा विज्ञापन कर लाग्ने छैन । तर, परिचयपाटीमा विज्ञापनमूलक सामग्री प्रचार गरेमा सोमा विज्ञापन कर लाग्नेछ ।

अनुसूची -९

(दफा १० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

बहाल बितौरी शुल्कको दर

क. ऐलानी तथा सार्वजनिक स्थलको उपयोग

| स्थान  | शुल्कको दर  | कैफियत  |
|--|---|---|
| गाउँक्षेत्रका सडकको दायौं बायाँको जग्गा उपभोग गरेबापत                              | प्रति वर्ग फिट न्यूनतम मासिक रु ५ र अन्य क्षेत्रमा न्यूनतम मासिक रु ५ |   |
| सार्वजनिक स्थलमा गाउँपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको संरचना प्रयोग गरेबापत             | प्रति वर्ग फिट प्रति हप्ता रु ५                                       |   |
| सार्वजनिक स्थलको खुला क्षेत्रमा पटके रुपमा ब्यापार ब्यवसाय उपयोग गरे बापत गरिनेछ । | प्रति हप्ता रु ५ देखी ५० रुपैयाँसम्म                                  | शुल्कको प्रकार गाउँ कार्यपालिकाले तोक्न सक्ने |

ख. अस्थायी हाटबजार र घुम्ती पसल (पटके रुपमा )

| क्र.स | व्यापार/व्यवसाय/कारोवार   | शुल्कको दर (पटके रुपमा) रु. |
|-------|---------------------------|-----------------------------|
| १     | जात्रा                    | १०००                        |
| २     | व्यापार व्यवसाय प्रति पटक | ५००                         |

अनुसूची-१०

(दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित

शुल्क तथा दस्तुरको दर

| क्र.स | सिफारिस, अनुमति र प्रमाणित                          |                           | दर      |
|-------|---|---------------------------|---------|
|       | विवरण   | विस्तृत विवरण             |         |
| १     | घरजग्गा नामसारी सिफारिस                             | ५ रोपनी सम्म              | १५०     |
|       |   | ५ देखि १० रोपनी सम्म      | २००     |
|       |   | १० देखि २० रोपनी सम्म     | २५०     |
|       |   | २० देखि ५० रोपनी सम्म     | ३५०     |
|       |   | ५० रोपनी भन्दा माथि       | ५५०     |
| २     | मोही लागत कट्टा सिफारिस                             | १ रोपनी सम्मको            | १५०     |
|       |   | १ रोपनी भन्दा माथिको      | २५०     |
| ३     | घर कायम सिफारिस                                     | पक्की घर (प्रति वर्ग फिट) | ५       |
|       |   | कच्ची घर (प्रति वर्ग फिट) | ३       |
| ४     | सरजमिन सिफारिस दस्तुर                               |                           | ३००     |
| ५     | छात्रवृत्ति सिफारिस                                 |                           | १५०     |
| ६     | विपन्न/असहाय/दलित विद्यार्थी<br>छात्रवृत्ति सिफारिस |                           | निशुल्क |
| ७     | अपाङ्गता भएका सिफारिस                               |                           | निशुल्क |
| ८     | अस्थायी बसोबास सिफारिस                              |                           | ३००     |
| ९     | स्थायी बसोबास सिफारिस                               |                           | २००     |
| १०    | नागरिकता सिफारिस                                    | वंशज                      | २००     |

|    |   |         |         |
|----|---|---------|---------|
|    |   | अंगिकृत | ५००     |
| ११ | विद्युतीय जडान सिफारिस  |         | १५०     |
| १२ | धारा जडान सिफारिस   |         | १५०     |
| १३ | जिवित रहेको सिफारिस   |         | १५०     |
| १४ | दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने वा फरक जन्म मिति संसोधन सिफारिस |         | २५०     |
| १५ | व्यवसाय बन्द सिफारिस  |         | १५०     |
| १६ | व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारिस                                       |         | १५०     |
| १७ | व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस                                       |         | १५०     |
| १८ | कोट फि मिनाहा सिफारिस   |         | निशुल्क |
| १९ | नाबालक परिचय सिफारिस  |         | निशुल्क |
| २० | चौपाया सम्बन्धी सिफारिस   |         | १५०     |
| २१ | व्यवसाय दर्ता सिफारिस   |         | ५००     |
| २२ | उद्योग ठाउँसारी सिफारिस   |         | ५००     |
| २३ | विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस   |         | ५००     |
| २४ | आन्तरिक बसाइसराइ सिफारिस  |         | २००     |
| २५ | विद्यालय सञ्चालन स्वीकृत कक्षा वृद्धि सिफारिस                       |         | १०००    |
| २६ | व्यक्तिगत विवरण सिफारिस/नवीकरण सिफारिस                              |         | १५०     |
| २७ | जग्गा दर्ता सिफारिस   |         | २००     |



|    |   |                      |         |
|----|---|----------------------|---------|
| २८ | संरक्षक सिफारिस व्यक्तिगत                 |                      | १५०     |
| २९ | संरक्षक सिफारिस संस्थागत                  |                      | २००     |
| ३० | कोठा खोल्न कार्य रोहबरमा बस्ने सिफारिस    |                      | १५०     |
| ३१ | स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस                 | निशुल्क उपचारको लागि | निशुल्क |
| ३२ | संस्था दर्ता सिफारिस                      |                      | ५००     |
| ३३ | जग्गा धनीपुर्जा हराएको सिफारिस            |                      | ५००     |
| ३४ | जीवित सँगको नाता प्रमाणित                 |                      | २००     |
| ३५ | मृतकसँगको नाता प्रमाणित                   |                      | २००     |
| ३६ | आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित |                      | १०००    |
| ३७ | आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्न प्रमाणित    |                      | १५०     |
| ३८ | जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस/प्रमाणित         | प्रति रु.१०००        | रु ०.७५ |
| ३९ | चारकिल्ला प्रमाणित                        | बाटो भएको/बाटो नभएको | १५०     |
| ४० | जन्म मिति प्रमाणित                        |                      | १५०     |
| ४१ | विवाह प्रमाणित                            |                      | १५०     |
| ४२ | घर पाताल प्रमाणित                         |                      | १५०     |
| ४३ | कागज/मञ्जुरीनामा प्रमाणित                 |                      | १५०     |
| ४६ | हकवाला वा हकदार प्रमाणित                  |                      | १५०     |
| ४५ | घर सम्पन्न सिफारिस/प्रमाणित               | पक्की                | १०००    |
|    |   | कच्ची                | ५००     |

|    |                                 |                         |      |
|----|---------------------------------|-------------------------|------|
| ४६ | अविवाहित प्रमाणित               |                         | १५०  |
| ४७ | अपुताली सिफारिस                 |                         | १५०  |
| ४८ | अन्य सिफारिस वा प्रमाणित        |                         | १५०  |
| ४९ | घर नक्सापास दस्तुर              | पक्की घर                | १५०० |
|    |                                 | कच्ची घर                | ५००  |
| ५० | नक्सा पास निवेदन फाराम दस्तुर   |                         | ५०   |
| ५१ | जन्म दर्ता                      | ३५ दिन भित्र भए निशुल्क | २००  |
| ५२ | मृत्यु दर्ता                    | ३५ दिन भित्र भए निशुल्क | २००  |
| ५३ | बसाइसराइ दर्ता                  | जाने                    | २००  |
|    |                                 | आउने ३५ दिन पछि         | २००  |
| ५४ | विवाह दर्ता                     | ३५ दिन भित्र भए निशुल्क | २००  |
| ५५ | उजुरी दर्ता तथा मुद्दा दस्तुर   |                         | १५०  |
| ५६ | प्रतिलिपिको सिफारिस वा प्रमाणित | सबै प्रकारको            | ५००  |
| ५७ | अंग्रेजी सिफारिस                | सबै प्रकार प्रति पाना   | ५००  |

अनुसूची-११  
(दफा-१२ सँग सम्बन्धित)  
बिक्रीको दर

| सामग्रीहरु    | इकाई            | विक्री दर रु. |
|---------------|-----------------|---------------|
| ढुंगा, गिट्टी | प्रति ट्रक/टिपर | १५००          |
|               | प्रति ट्रयाक्टर | ६००           |
| बालुवा        | प्रति ट्रक/टिपर | १५००          |
|               | प्रति ट्रयाक्टर | ६००           |
| माटो          | प्रति ट्रक/टिपर | १०००          |
|               | प्रति ट्रयाक्टर | ३००           |

अनुसूची-१२  
(दफा १३ सँग सम्बन्धित)  
सम्पत्ति भाडाको दर

| सम्पत्ति                                | भाडा दर रु.               |
|---|---------------------------|
| हल भाडा साउण्ड सिस्टम सहित (प्रति पटक)  | ५०००                      |
| हल भाडा साउण्ड सिस्टम बाहेक (प्रति पटक) | १०००                      |
| एम्बुलेन्स                              | गाउँ कार्यपालिकाले तोक्ने |
| व्याक हो लोडर                           | गाउँ कार्यपालिकाले तोक्ने |

अनुसूची-१३

(दफा १४ सँग सम्बन्धित)

व्यवसाय दर्ता शुल्क तथा नवीकरण शुल्क

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमको व्यापार तथा व्यवसाय गर्नेले गाउँपालिकावाट व्यवसाय इजाजत पत्र लिई वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ । व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क दर देहाय बमोजिम रहेको छ :

| क्र.स | व्यवसायको किसिम      |                     | दर (रु) |
|-------|----------------------|---------------------|---------|
|       | विवरण                | विस्तृत विवरण       |         |
| १     | मदिरा पसल            | वितरक               | ३०००    |
|       |                      | थोक                 | २०००    |
|       |                      | खुद्रा              | १०००    |
| २     | चुरोट बिडी सुती जन्म | वितरक               | २०००    |
|       |                      | थोक                 | १५००    |
|       |                      | खुद्रा              | १०००    |
| ३     | हल्का पेय पदार्थ     | वितरक               | १५००    |
|       |                      | थोक                 | १०००    |
|       |                      | खुद्रा              | ५००     |
| ४     | सुन चादीं पसल        | थोक                 | १५००    |
|       |                      | खुद्रा पसल र मर्मत  | १०००    |
| ५     | औषधी पसल             | थोक                 | ३०००    |
|       |                      | खुद्रा डाक्टर भएको  | २०००    |
|       |                      | खुद्रा डाक्टर नभएको | १५००    |
| ६     | माछामासु बिक्री पसल  |                     | २०००    |
| ७     | आयुर्वेदिक औषधी पसल  |                     | १०००    |
| ८     | एग्रोभेट पसल         | थोक                 | २०००    |
|       |                      | खुद्रा              | १०००    |

|    |   |                        |      |
|----|---|------------------------|------|
| ९  | स्टेशनरी तथा पुस्तक पसल                     | थोक                    | २००० |
|    |   | खुद्रा                 | १००० |
| १० | छपाई तथा प्रकाशन                            | अफसेट प्रेस            | २००० |
|    |   | साधारण प्रेस           | १००० |
| ११ | कस्मेटिक पसल                                |                        | १००० |
| १२ | मोटर पाटर्स                                 | थोक                    | २००० |
| १३ | प्लाई तथा ग्लास                             | थोक                    | २५०० |
|    |   | खुद्रा                 | १५०० |
| १४ | कपडा/फेन्सी/जुत्ता चप्पल                    | थोक                    | २००० |
|    |   | खुद्रा                 | १५०० |
| १५ | धागो टाक पसल                                | थोक                    | १००० |
|    |   | खुद्रा                 | ५००  |
| १६ | इलोकट्रोनिक पसल                             | वितरक                  | ३००० |
|    |   | थोक                    | १५०० |
|    |   | खुद्रा                 | १००० |
| १७ | हार्डवयर/ मेसिनरी/स्यानिटरी/मार्बल          | थोक                    | ५००० |
|    |   | खुद्रा                 | ३००० |
| १८ | पेट्रोलियम पदार्थ                           | पेट्रोल पम्प           | ५००० |
|    |   | पेट्रोल बिक्री केन्द्र | ३००० |
|    |   | ग्यास सिलिन्डर सब डिलर | ३००० |
|    |   | मट्टितेल मात्र बिक्री  | २००० |
| १९ | स्टिल आलमुलियम पसल                          | थोक                    | २००० |
|    |   | खुद्रा                 | १००० |
| २० | फर्निचर                                     | थोक                    | १५०० |
|    |   | खुद्रा                 | १००० |
| २१ | ढुङ्गा तथा गिट्टी बालुवा बिक्री वितरण गर्ने |                        | २००० |
| २२ | कपडा सिलाई कटाई                             | टेलरिड आधुनिक          | १००० |
|    |   | हाते मेसिन             | ५००  |
| २३ | सुकर तथा पुल हाउस                           |                        | २००० |

|                    |  |                                 |      |
|--------------------|--|---------------------------------|------|
| २४                 | क्यारेम बोर्ड  |                                 | ५००  |
| २५                 | पशु आहार बिक्री केन्द्र                                      |                                 | १००० |
| २६                 | किराना पसल   | थोक                             | १५०० |
|                    |  | खुद्रा                          | ५००  |
| २७                 | फलफूल/तरकारी पसल   | थोक                             | १००० |
|                    |  | खुद्रा                          | ५००  |
| २८                 | उपहार/गिफ्ट/खेलौना पसल                                       | थोक                             | १००० |
|                    |  | खुद्रा                          | ५००  |
| २९                 | भाडाँ पसल (स्टिल, प्लास्टिक, आल्मुनियम)                      | थोक                             | २५०० |
|                    |  | खुद्रा                          | १५०० |
| ३०                 | माटाको भाडाँ पसल   | थोक, खुद्रा                     | २००  |
| ३१                 | विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायी                           | चिकित्सक                        | २००० |
|                    |  | कन्सलटेन्ट सेवा (इन्जिनियरिङ्ग) | २००० |
|                    |  | कानून व्यवसायी फर्म             | २००० |
|                    |  | लेखापरिक्षण व्यावसायी           | २००० |
|                    |  | दन्त चिकित्सक                   | २००० |
|                    |  | अनुसन्धानकर्ता परामर्शदाता      | २००० |
|                    |  | पशु चिकित्सक डाक्टर             | २००० |
|                    |  | रोजगार सेवा                     | २००० |
| ३२                 | ढुवानी तथा ट्रान्सपोर्ट                                      |                                 | २००० |
| ३३                 | पेन्टर/साईनबोर्ड लेखे  |                                 | १००० |
| ३४                 | खोटो व्यवसायी  |                                 | १५०० |
| ३५                 | जग्गा व्यवसायी   |                                 | २००० |
| ३६                 | निर्माण व्यवसायी   | दर्ता                           | ५००० |
| ३७                 | निर्माण व्यवसायी   | नवीकरण                          | १००० |
| उत्पादनमूलक उद्योग |  |                                 |      |
| ३८                 | ग्रील उद्योग   |                                 | ३००० |
| ३९                 | जुत्ता उद्योग  |                                 | १५०० |
| ४०                 | घरेलु कुटिर उद्योग (अगरबत्ती, मैनाबत्ती, टिकी, अचार तथा अन्य |                                 | ५००  |

|    |                                   |                             |      |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|------|
|    | कुटिर)                            |                             |      |
| ४१ | कपडा तथा गार्मेट उद्योग           |                             | ५००० |
| ४२ | सिरक डसना उद्योग पसल              |                             | १५०० |
| ४३ | कुटानी पेलानी/मिल                 |                             | १५०० |
| ४४ | मसला मिल                          |                             | १००० |
| ४५ | डेरी उद्योग/व्यवसाय               |                             | १००० |
| ४६ | उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग      | कुकिज नुडल्स                | १००० |
|    |                                   | दालमोठ पाउरोटी चाउमिन       | १००० |
|    |                                   | पापड चिप्स फिगर             | १००० |
| ४७ | वनजन्य उद्योग                     | स-मिल प्लाइउड उद्योग        | ५००० |
|    |                                   | काठ बिक्री डिपो             | २००० |
| ४८ | क्रसर कन्क्रिट इट्टा भट्टा उद्योग |                             | ८००० |
| ४९ | ढाकाटोपी पस्मिना उद्योग           |                             | ५००  |
| ५० | सुर्तिजन्य उद्योग                 |                             | ५००० |
| ५१ | होटल लज रेष्टुरेन्ट               | होटल र लज                   | २००० |
|    |                                   | भोजनालय                     | १००० |
|    |                                   | मिठाई पसल                   | ५००  |
|    |                                   | पार्टी प्यालेस              | २५०० |
|    |                                   | रेष्टुरेन्ट-बार             | २००० |
|    |                                   | चिया र खाजा पसल             | ५००  |
|    |                                   | खाजा-नास्ता पसल (मदिरासहित) | २००० |
| ५२ | टेन्ट हाउस                        |                             | २००० |
| ५३ | सञ्चार                            | एफ.एम.प्रसारण               | २००० |
|    |                                   | केवल च्यानल प्रसारण         | २००० |
|    |                                   | पत्रपत्रिका प्रकाशन सेवा    | १००० |
|    |                                   | फोटोकपी, पि.सि.ओ साईवर      | १००० |
|    |                                   | कुरियर सेवा                 | १००० |
|    |                                   | कलर ल्याव/फोटो स्टुडियो     | १००० |



|                             |                        |  |      |
|-----------------------------|------------------------|--|------|
| ५४                          | वित्तीय                | वाणिज्य बैंक प्रति शाखा/<br>केन्द्रीय कार्यालय                       | ५००० |
|                             |                        | विकास बैंक प्रति शाखा/<br>कार्यालय, फाइनेन्स कम्पनी<br>शाखा कार्यालय | ५००० |
|                             |                        | वित्तीय/ऋण सहकारी संस्था   | २००० |
|                             |                        | मनी ट्रान्सफर  | १५०० |
|                             |                        | विमा कम्पनी  | २००० |
|                             |                        | लघु वित्त  | २००० |
| ५५                          | स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय | निजी अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होम  | २५०० |
|                             |                        | क्लिनिक तथा ल्याव  | १५०० |
|                             |                        | चस्मा पसल  | १५०० |
| ५६                          | शिक्षा सेवा (निजी)     | क्याम्पस   | २००० |
|                             |                        | मा.वि उच्च मा.वि.  | १५०० |
|                             |                        | मा.वि  | १००० |
|                             |                        | आधारभूत  | १००० |
|                             |                        | छात्रावास  | १००० |
|                             |                        | मन्टेस्वरी   | ८००० |
|                             |                        | पूर्व प्राथमिक   | १५०० |
|                             |                        | ट्युसन सेन्टर  | १००० |
|                             |                        | कम्प्युटर/नृत्यकला सिकाई<br>केन्द्र                                  | १००० |
| तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र | १०००                   |  |      |
| ५७                          | मर्मत सम्भार           | टायर-ट्युव मर्मत, रिसोलिड,<br>हावा भर्ने                             | १५०० |
|                             |                        | इन्जिन मर्मत   | १५०० |
|                             |                        | डेन्टिङ्ग पेन्टिङ्ग  | १५०० |
|                             |                        | टि.भि., फ्रिज, मोटर, पङ्खा,<br>कम्प्युटर                             | १५०० |

|                             |  |                      |      |
|-----------------------------|--|----------------------|------|
|                             |  | रेडियो, घडी, मोबाईल, | १००० |
|                             |  | मोटरसाईकल मर्मत      | १५०० |
|                             |  | बस,ट्याक्सी मर्मत    | २००० |
|                             |  | अन्य विविध मर्मत     | १००० |
| ५८                          | ड्राइ क्लिनिक, व्यूटी पार्लर तथा सैलुन |                      | १००० |
| ५९                          | फूल विरुवा पसल                         |                      | ५००  |
| ६०                          | गैर सरकारी संस्थाहरु                   | राष्ट्रिय            | २००० |
|                             |  | अन्तराष्ट्रिय        | ५००० |
| <b>व्यवसाय नवीकरण शुल्क</b> |  |                      |      |

| क्र.स. | व्यवसायको किसिम  | दर्ता शुल्क | नविकरण शुल्क |
|--------|--|-------------|--------------|
| १      | घ वर्गको इजाजत पत्र                                    | १००००।      | ५०००।        |
| २      | १ लाख सम्मको फर्म (कृषि, पशुपंक्षी मत्स्य लगायत)       | १५००।       | १०००।        |
| २      | ५ देखि २० लाख सम्म फर्म (कृषि, पशुपंक्षी मत्स्य लगायत) | २०००।       | १०००।        |
| ३      | २० लाख भन्दा माथि फर्म (कृषि, पशुपंक्षी मत्स्य लगायत)  | २५००।       | १०००।        |
|        |  |             |              |

अनुसूची -१४(क)

(दफा १५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

बिक्री सिफारिस शुल्क दर

| क्र.स | विवरण     | विस्तृत विवरण | प्रति ट्याक्टर | प्रति ट्रक दर | प्रति एल्पी ट्रक | कैफियत         |
|-------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| १     | काष्ठजन्य | खयर           | रु. १          |               |                  | प्रति कि.ग्रा. |
|       |           | साल           | ५५०।           | १२००।         | ४०००।            |                |
|       |           | सिसौ          | ५५०।           | १२००।         | ४०००।            |                |
|       |           | सल्ला         | ४००।           | १२००।         | ४०००।            |                |
|       |           | चिलाउने       | ४५०।           | १२००।         | ४०००।            |                |
|       |           | कटुस / पात्ले | ४५०।           | १२००।         | ४०००।            |                |
|       |           | उत्तिस        | ५००।           | १२००।         | ४०००।            |                |
|       |           | करम           | ४००।           | १०००।         | ४०००।            |                |
|       |           | मौवा          | ५००।           | १२००।         | ४०००।            |                |
|       |           | चाम्ला        | ५००।           | १२००।         | ४०००।            |                |

अनुसूची -१४(ख)  
(दफा १५ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

बिक्री सिफारिस शुल्क दर

| क्र.स. | विवरण         | विस्तृत विवरण | शुल्क |
|--------|---------------|---------------|-------|
| १      | गोरु          | प्रति गोटा    | १००।  |
| २      | गाई           | प्रति गोटा    | १००।  |
| ३      | राँगा         | प्रति गोटा    | १००।  |
|        | भैसी          | प्रति गोटा    | १००।  |
|        | खसी/भेडा/बोका | प्रति गोटा    | १००।  |
|        | सुँगूर        | प्रति गोटा    | १००।  |

अनुसूची -१५

(दफा १६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

सवारी साधन प्रभाव शुल्क

गाउँपालिका क्षेत्रभिन्न सञ्चालन हुने देहायका सवारी साधनमा पहिलो पटक सवारी दर्ता र वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्दा लाग्ने करको दर निम्न अनुसार हुनेछः

| क्र.स | सवारीको किसिम                | प्रभाव शुल्क दर (वार्षिक) | कैफियत              |
|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| १     | अटोरिक्सा, विद्युतीय रिक्सा  | रु. ५००                   |                     |
| २     | स्काभेटर                     | रु. १५०००                 |                     |
| ३     | व्याक हो लोडर                | रु. १००००                 |                     |
| ४     | बस, ट्रक, लरी र हेभी मेसिन   | रु. ५०००                  |                     |
| ५     | भाडाका कार जिप, सुमो, बोलेरो | रु. २०००                  | निजी र सरकारी बाहेक |

अनुसूची -१६  
(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

जरिवाना, शूलक र ब्याज (हर्जाना) लाग्ने सम्बन्धी व्यवस्था

जरिवाना लाग्ने : तल उल्लिखित कसुर गर्ने व्यक्ति, व्यवसायी वा संस्थालाई देहायको दरमा जरिवाना लाग्नेछ :

| क्र.स | कसुर  | दण्ड जरिवाना (रु)  |
|-------|---|--|
| १     | स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य पदार्थहरू उत्खनन तथा बिक्री अनुमति प्राप्त गर्ने व्यवसायी वा संस्थाले तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेमा वा अनुमति बेगर उत्खनन गरेमा | उत्खनन भएको परिमाण जफत गरी प्रति घन फिट रु १० जरिवाना                  |
| २     |   |  |
| ३     | गाउँपालिकामा दर्ता वा इजाजत नलिई नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गरेमा   | गाउँपालिकाले तोकेको व्यवसायको दोब्बर जरिवाना गरिने छ ।                 |
| ४     | गाउँपालिकाले निषेध गरेका क्रियाकलाप सञ्चालन गरेमा   | गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरे बमोजिम रु ५,०००।०० सम्म जरिवाना गरिनेछ । |

\*सबै अनुसूचीबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्व जम्मा रु ४०,००,०००/-

ब्याज (हर्जाना) लाग्ने : कुनै करदाताले यस ऐन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, सेवा शूलक समयमा दाखिला नगरेमा अन्यत्र व्याज (हर्जाना) तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएको हकमा तिर्न बुझाउनु पर्ने रकमको वार्षिक पन्ध प्रतिशतका दरले व्याज (हर्जाना) लाग्नेछ ।

समयमा विवरण दाखिला नगरेमा शुल्क लाग्ने : यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम विवरण दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व भएको करदाताले समयमा विवरण दाखिला नगरेमा यस ऐन बमोजिम तिर्नुपर्ने गरेको दोब्बर रकम विलम्ब शुल्क सहित लाग्ने कर निजबाट असुल गरिनेछ ।

झुट्टा विवरण दिएमा जरिवाना लाग्ने: यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम विवरण दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व भएका करदाताले कर छल्ने नियत लिई झुट्टा वा अधुरो विवरण दाखिला गरेमा नियमानुसार लाग्ने गरेको १५ देखि २० प्रतिशत रकम जरिवाना सहित लाग्ने कर निजबाट असुल गरिनेछ ।

व्याज (हर्जाना) नलाग्ने: यस ऐन बमोजिम लाग्ने शुल्क, व्याज (हर्जाना) र जरिवानामा पुनः ब्याज (हर्जाना) लाग्ने छैन ।

प्रमाणिकरण मिति २०८०/०३/१७

आज्ञाले,  
लोकेन्द्र बहादुर राई  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत